संoसंo–7/प्रoकुर्नन–20–01/2018– 04(7)a (5)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन, पटना ।

पटना, दिनांक 07-06, 2018

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–104–औषध नियंत्रण–0002–प्रधान कुर्नन पूर्ति डीपो, पटना उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210061040002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹81,63,800/–(इक्कासी लाख तिरसठ हजार आठ सौ) रूपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹81,63,800/–(इक्कासी लाख तिरसठ हजार आठ सौ) रूपये मात्र का आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संo 2561 विo (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326विo दिनांक–2.04.2014 तथा 295विo दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–104–औषध नियंत्रण–0002–प्रधान कुर्नन पूर्ति डीपो, पटना उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210061040002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सिविल सर्जन, पटना आवंटित राशि का उप आवंटन अधीक्षक, राज्य स्वास्थ्य भंडार, गुलजारबाग, पटना को एक मुश्त में करेगें। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

5. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

6. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, राज्य स्वास्थ्य भंडार, गुलजारबाग, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक– 15.03. 2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रकिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

(5)

11. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

12. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

13. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

ह०/- 07.6.18

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 04(7)9 पटना, दिनांक : 07-06-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ प्रशाखा पदाधिकारी–7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- 07.6.18

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी

मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य **व्यय शीर्ष–2210**–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–**लोक स्वास्थ्य**–104–औषध नियंत्रण–0002–प्रधान कुर्नन पूर्ति डिपो, पटना **उपशीर्ष** विपत्र कोड–20–2210061040002 **के अन्तर्गत** वित्तीय वर्ष 2018–2019 में **विभिन्न प्राथमिक** ईकाईयों में आवंटन की **विवरणी**

उपबंध एवं आवंटन की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान में आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5
1	वेतन (0002–01–01)	6957000	**5565600**	1391400
2	जीवन यापन भत्ता (0002–01–03)	1043000	**834400**	208600
3	मकान किराया भत्ता (0002–01–04)	1113000	**890400**	222600
4	परिवहन भत्ता (0002–01–05)	67000	**53600**	13400
5	चिकित्सा भत्ता (0002–01–06)	156000	**124800**	31200
6	अन्य भत्ता (0002–01–07)	440000	**352000**	88000
	योग 20–2210.06.104.0002.01वेतन	**9776000**	**7820800**	**1955200**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002–06–01)	100000	0	100000
8	यात्रा व्यय (0002–11–01)	31000	15500	15500
9	कार्यालय व्यय (0002–13–01)	100000	50000	50000
10	दूरभाष (0002–13–03)	50000	25000	25000
10	विद्युत प्रभार (0002–13–04)	200000	150000	50000
11	विधि प्रभार (0002–13–05)	25000	12500	12500
11	वर्दी / पोषाक (0002–13–06)	30000	15000	15000
12	किराया महसूल एवं कर(0002–14–01)	50000	25000	25000
13	प्रशिक्षण व्यय (0002–20–03)	85000	0	85000
14	सामग्री पूर्तियाँ (0002–21–01)	100000	50000	50000
	कुल योग:–	**10547000**	**8163800**	**2383200**

(इक्कासी लाख तिरसठ हजार आठ सौ) रू0 मात्र

04(7)9
07-06-18

07/6/18
सरकार के विशेष सचिव